वित्तीय समावेशन संबंधी अभियान को मिशन बनाकर वित्तीय गहराई लाना *

के. सी. चक्रवर्ती

डॉ. सी.रंगराजन, माननीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद; श्री हरि शंकरन, प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आइएलएण्डएफएस; श्री एस.एस.तारापोर, विख्यात फेलो, स्कॉच डेवलपमेंट फाउंडेशन; श्री जे. श्रीराम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी - मोबाइल वाणिज्य उद्यम, भारती एअरटेल लिमिटेड तथा इस समारोह के मुख्य आयोजक श्री समीर कोच्चर, गणमान्य अतिथिगण, देवियो और सज्जनो, मैं यहां वित्तीय समावेशन के बारे में, जो इस शिखर सम्मेलन के विषय अर्थात वित्तीय गहराई से जुड़ा हुआ है, कुछ कहने के लिए आया हूं। किसी भी प्रक्रिया की गहराई की पूर्व-शर्त यह है कि उसमें बड़ी संख्या में भागीदार मौजूद हों। अतः वित्तीय गहराई के लिए वित्तीय समावेशन एक आवश्यक शर्त है।

2. आइए हम इस बात पर विचार करें कि वित्तीय गहराई से समता के साथ वृद्धि संबंधी चिंताओं का समाधान किस तरह हो सकता है तथा किस तरह गरीबों के पक्ष में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। वित्तीय क्षेत्र के विकास तथा गहराई से बचत राशियां जुटाकर तथा उनका निवेश उत्पादक क्षेत्रों की वृद्धि के लिए करके आर्थिक वृद्धि की जा सकती है। वित्तीय प्रणाली का संस्थागत बुनियादी ढांचा जानकारी, संविदात्मक तथा लेनदेन लागत कम करने में अंशदान देता है, जिससे बदले में आर्थिक वृद्धि में तेजी आती है तथा गरीबों के पक्ष में वृद्धि का संवर्धन होता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वित्तीय समावेशन बढ़ाने से परिवारों की आर्थिक असुरक्षितता में कमी आती है, आर्थिक वृद्धि का संवर्धन होता है, गरीबी में कमी आती है तथा लोगों के रहन-सहन की गुणवत्ता में सुधार आता है। इस प्रकार बैंकिंग के विस्तार से आर्थिक वृद्धि तेज करने के लिए वित्त की उपलब्धता में वृद्धि होती है तथा गरीबी निवारण में मदद मिलती है।

इस प्रक्रिया में मौजूद अवरोध

3. उपयुक्त वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में गरीब जनता के सामने जो रुकावटें मौजूद हैं, उनमें शामिल हैं - सामाजिक-

* मुंबई में 17 जून 2010 को 23वें स्काच शिखर सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी.चक्रवर्ती का संबोधन।

आर्थिक कारक अर्थात शिक्षा की कमी - असाक्षरता, लिंग और आयु, कम एवं अनियमित आय तथा भौगोलिक स्थिति; विनियामक कारक अर्थात पहचान संबंधी दस्तावेजीकरण एवं प्रोडक्ट डिजाइन कारक संबंधी अधिदेशात्मक अपेक्षाएं।

4. वित्तीय सेवा प्रदान करनेवालों द्वारा गरीबों को उपयुक्त सेवाएं प्रदान करने में बताई गई मुख्य रुकावट अल्प ऋणों के प्रबंधन सहित उन सेवाओं को प्रदान करने की लागत है। जहां लेनदेन की लागत लेनदेन के आकार के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं बदलती तथा लेनदेनों की बड़ी संख्या से लागत में कमी आती है, वहीं परंपरागत खुदरा बैंकिंग अथवा बीमा दृष्टिकोण का प्रयोग करके अल्प मूल्यवाली सेवाओं के साथ गरीब जनता की मदद करना अर्थक्षम नहीं हैं। हमें बुनियादी ढांचा संबंधी कमजारियों का समाधान करने सहित वित्तीय प्रणाली तक पहुंच और उसके उपयोग का विस्तार करने के साधन के रूप में प्रौद्योगिकीय एवं संस्थागत नवोन्मेष का संवर्धन करना होगा।

5. वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी और उसकी अभिकल्पना में गरीबों एवं वंचित लोगों को लक्ष्य बनाकर किए गए नवोन्मेष से नीति एवं विनियामक मुद्दों संबंधी चुनौतियां सामने आती हैं। जी-20 ने भी वित्तीय समावेशन एवं वैश्विक सुरक्षा-जाल सुनिश्चित करने संबंधी इन मुद्दों के समाधान के लिए वित्तीय समावेशन विशेषज्ञ दल का गठन किया है। चुनौतियों एवं अवरोधों के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता तथा नीति, विनियमन एवं पर्यवेक्षण के संबंध में व्यावहारिक अनुभव सीमित है। अब तक औद्योगिक नवोन्मेष की गति कई बार प्रतिसाद व्यक्त करने हेतु नीति-निर्माताओं की क्षमता से अधिक रही है। जब हम गरीबों तक पहुंच की बात करते हैं, उस समय हमें यह बात अवश्य समझनी चाहिए कि ग्राहकों के सामने किस प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं तथा उनका क्या समाधान है। अतः किसी प्रकार के नीतिगत एवं विनियामक प्रतिसाद में इस प्रकार के लचीले दृष्टिकोणों को जोड़ने पर फोकस किए जाने की जरूरत होगी, जिनमें बहुल एवं प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों को शामिल किया जा सके तथा और अधिक नवोन्मेष को आत्मसात् किया जा सके। नवोन्मेष का मुख्य स्रोत वर्जित जनता को धारणीय वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में आनेवाली लागत को कम करने तथा अन्य अवरोधों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकीय क्षमता है।

6. कुछ साल पहले तक उपयुक्त प्रौद्योगिकी की कमी थी। परंतु अब चूंकि प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, अतः हमने वित्तीय समावेशन के बारे में कई पहलें की हैं। हमें एक कारोबारी मॉडल तथा सुपुर्दगी मॉडल की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी कि वे अगले तीन सालों के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना तैयार करें। सभी बैंकों ने अपनी वित्तीय समावेशन योजना तैयार की है तथा हम उनकी योजनाओं पर बैंकों के साथ सक्रिय तौर पर चर्चा कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण के जरिए हम वित्तीय समावेशन संबंधी अभियान को एक मिशन बनाकर चल रहे हैं। हमारे मूल्यांकन तथा हमारी समझ के आधार पर, हमने उन्हें उनकी योजनाओं की समीक्षा करने एवं उनमें संशोधन करने का सुझाव दिया है। नियोजित, धारणीय एवं संरचित वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में हमारा व्यापक दृष्टिकोण निम्नानुसार हैः

प्रौद्योगिकी: बैक-एंड के साथ फ्रंट-एंड का सीवनहीन समन्वय

7. पहली बात, प्रौद्योगिकी की रूपांतरणात्मक भूमिका पर बल दिए जाने की जरूरत है। वित्तीय गहराई से बैंकिंग की पहुंच जनता तक हो रही है। हम राष्ट्रीयकरण के बाद पिछले चार दशकों तक इसकी बात करते रहे हैं; परंतु हम विफल रहे हैं जब हम देखते हैं कि वर्तमान व्याप्ति मात्र 32,000 ग्रामीण वाणिज्य बैंक शाखाओं तक है। स्थिर एवं भरोसेमंद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी)

के बिना आरोह्य वित्तीय समावेशन संभव नहीं है। न सिर्फ बैंकों की शाखाओं अपितु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में भी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) उपलब्ध होना चाहिए, जिसके बिना वित्तीय समावेशन संबंधी प्रयासों को बढ़ाना संभव नहीं होगा। दस्ती फ्रंट-एंड डिवाइसों के माध्यम से किए जानेवाले लेनदेन बैंकों के मुख्य सर्वर के साथ सीवनहीन तरीके से समन्वित होने चाहिए। इन डिवाइसों को बाद के पैराग्राफ में उल्लिखित चार न्यूनतम प्रोडक्ट के लेनदेन में सक्षम होना चाहिए। स्मार्ट कार्ड में आधार परियोजना के तहत यूआइडी संख्या के साथ समन्वयन का प्रावधान होना चाहिए।

बैंकिंग सेवाएं : प्रोडक्ट की संख्या में वृद्धि की जरूरत

8. दूसरी बात, 'नो फ्रिल्स खाते' खोलना मात्र पर्याप्त नहीं है तथा यह देखा जाना चाहिए कि बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हों। बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के लिए पात्र होने हेतु कम से कम चार बैंकिंग प्रोडक्ट उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। ये इस प्रकार हैं:

क. बचत-सह-ओवरड्राफ्ट खाता

ख. शुद्ध बचत प्रोडक्ट, आदर्श तौर पर एक आवर्ती अथवा परिवर्ती आवर्ती जमा प्रोडक्ट

ग. ईबीटी तथा अन्य विप्रेषणों के लिए एक विप्रेषण प्रोडक्ट

घ. उद्यमिता क्रेडिट यथा जीसीसी, केसीसी

खोले गए 'नो फ्रिल्स खातों' की संख्या बहुत अच्छी दिखती है, हालांकि, मूल्यांकन अध्ययन से यह पता चला कि खोले गए खाते निष्क्रिय पड़े रहते हैं क्योंकि गरीब जनता के पास जमा खातों में जमा करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं होती। अतः उनमें लेनदेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि बैंक चाहते हैं कि उन्हें ग्राहक मिलें तथा गरीब ग्राहक उनके साथ लेनदेन करें तो उन्हें इन खातों में ओवरड्राफ्ट की अनुमति अवश्य देनी चाहिए। शुरुआती तौर पर 200 रुपए, 500 रुपए आदि जैसी बहुत छोटी राशि मंजूर की जा सकती है । गरीब जनता की उपभोग संबंधी तथा जीवन चक्र यथा आपातकालीन चिकित्सा, विवाह, अंतिम संस्कार आदि जैसी घटनाओं से संबंधित जरूरतें अत्यावश्यक स्वरूप की होती हैं तथा उन्हें तुरंत पूरा किए जाने की जरूरत होती है। उन्हें इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि उनकी आपातकालीन ऋण संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा मौजूद है और आवश्यक होने पर वे इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे वे लेनदेन करने के लिए बैंकों के पास आएंगे तथा समग्र प्रयोग अर्थक्षम बनाने के अलावा बैंक अपने अन्य प्रोडक्टों की भी बिक्री कर सकेंगे। जो लोग सिर्फ बचत करना चाहते हैं, उनके लिए आवर्ती अथवा परिवर्ती जमा प्रोडक्ट जैसा शुद्ध बचत प्रोडक्ट प्रस्तावित किया जा सकता है। ईबीटी अथवा अन्य विप्रेषणों को सुकर बनाने के लिए एक विप्रेषण प्रोडक्ट का भी प्रस्ताव किया जाना चाहिए। उद्यमिता क्रेडिट के लिए, जीसीसी, केसीसी आदि जैसे प्रोडक्टों का प्रस्ताव किया जा सकता है। प्रस्तावित किए जानेवाले प्रोडक्टों का यह न्यूनतम सेट है। इसके अलावा बैंक अपने आकलन और अपनी क्षमता के अनुसार अन्य कोई प्रोडक्ट यथा बीमा, म्यूच्युअल फंड, आदि उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

व्याप्ति: पारदर्शिता की जरूरत

9. तीसरी बात है - व्याप्ति का मुद्दा। अब तक जब कभी कोई ग्राहक किसी दूरदराज के गांव से आकर शहर में स्थित किसी बैंक की शाखा में खाता खोलता है, वह शहरी शाखा बैंकिंग सेवाओं के दायरे में उस दूरदराज के गांव को भी शामिल करती रही है। हम स्पष्ट करते हैं कि किसी गांव को बैंकिंग सेवाओं द्वारा कवर किया गया माना जाने के लिए या तो उस गांव में कोई बैंक शाखा मौजूद होनी चाहिए अथवा वहां व्यवसाय संपर्की (बीसी) का दौरा/की उपस्थिति होनी

चाहिए। 2000 से अधिक आबादी वाले तथा 2000 से कम आबादी वाले गांवों के बीच विभाजन अवश्य होना चाहिए। इस योजना में दोनों श्रेणी के गांवों को एक समन्वित तरीके से कवर किए जाने की जरूरत है। एक विशेष गांव को कवर करने वाले बीसी/शाखा का नाम बैंक की वेबसाइट पर दर्शाए जाने की जरूरत है।

वित्तीय समावेशन योजना: बैंक की कारोबारी योजनाओं के साथ समन्वित

10. चौथी बात, वित्तीय समावेशन संबंधी योजनाओं का समन्वय बैंकों की सामान्य कारोबारी योजनाओं के साथ अवश्य किया जाना चाहिए। हमें यकीन है कि गरीबों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना एक अर्थक्षम कारोबारी अवसर है परंतु बैंकों के अपने कारोबारी मॉडलों के साथ वित्तीय समावेशन को संगत बनाने के लिए उनके द्वारा लागत एवं लाभ संबंधी अभ्यास का प्रयास किए जाने की जरूरत है। बैंकों को चाहिए कि वे वित्तीय समावेशन को एक बड़े कारोबारी अवसर के रूप में देखें तथा अपने सुपुर्दगी मॉडल को परिपूर्ण बनाएं।

परिचालनगत मुद्दे: मध्यवर्ती संरचना की जरूरत

11. पांचवीं बात, बैंकों को बीसी मॉडल से संबंधित परिचालनगत मुद्दों यथा नकदी संभालने की जांच करनी चाहिए। उन्हें इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या बीसी पर अधिक कारगर पर्यवेक्षण रखने के लिए मूल बैंक खाता तथा बीसी के बीच किसी ईंट-गारेवाली संरचना की जरूरत है। बैंकों के अपने सीमित स्टाफ द्वारा प्रबंधित इस संरचना के भीतर एक 'सेफ' होना चाहिए जिसमें बीसी द्वारा नकदी जमा की जा सके, एक सीबीएस टर्मिनल तथा पासबुक की छपाई की सुविधा होनी चाहिए। कुछ समय में यह बैंक की संपूर्ण सटेलाइट शाखा का रूप ले सकती है।

शहरी वित्तीय समावेशन: नजरअंदाज नहीं करना है

12. छठी बात, कभी-कभी भूलवश वित्तीय समावेशन को ग्रामीण गरीबी के साथ जोड़कर देखा जाता है। शहरी गरीबी संबंधी चिंताओं को भी ध्यान में रखने की जरूरत है तथा विभिन्न समूहों यथा रिक्शा चालकों, निर्माण कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि की जरूरतों का समावेश बैंकिंग प्रणाली द्वारा उनकी जरूरतों के अनुसार बनाए गए प्रोडक्टों और सेवाओं में अवश्य किया जाना चाहिए ताकि शहरी वित्तीय समावेशन का समाधान किया जा सके।

निगरानी: एक संरचित दृष्टिकोण की जरूरत

13. सातवीं बात, हम बैंकों की वित्तीय समावेशन योजनाओं के अनुसार उनके द्वारा की गई प्रगति पर कड़ी निगरानी रखेंगे। आंकड़ों के सार्थक संकलन और विश्लेषण के लिए एक संरचित रिपोर्टिंग फार्मेट उपलब्ध कराया गया है। बैंकों को राज्य/जिला स्तर पर संरचित आंकड़ा संकलन का इसी तरह का अभ्यास करना चाहिए जिससे जिला/राज्य/बैंक स्तर पर निगरानी रखने में सुविधा हो। एक संरचित दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होगा कि इस बार वित्तीय समावेशन संबंधी हमारे प्रयासों का परिणाम अलग होगा तथा उसकी लागत पिछले परिणामों जैसी नहीं होगी।

अन्य मुद्दे

14. मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि वित्तीय समावेशन राज्य संबंधी लाभों का अंतरण मात्र नहीं है। गरीबों को ऋण प्रदान किया जाना चाहिए तथा उनके बीच बचत एवं उधार की आदत पैदा किए जाने की जरूरत है। गरीब जनता को सस्ता ऋण नहीं अपितु त्वरित ऋण की जरूरत होती है। यह एक ऐसी असंगति है कि जहां उन्हें साहूकारों को ऊंची दरों पर ब्याज देने के लिए मजबूर किया जाता है, वहीं मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाएं अभी भी उन्हें ऋण देने में संकोच करती हैं। विश्लेषण का निचोड़ यह है कि वित्तीय समावेशन आर्थिक वृद्धि एवं गरीबी निवारण का वाहक है।

15. वित्तीय क्षेत्र की समावेशक गतिविधियां गरीबी निवारण में दो अनुपूरक अंशदान करती हैं: वित्तीय क्षेत्र की गतिविधि आर्थिक वृद्धि का वाहक है जिससे गरीबी एवं असमानता में अप्रत्यक्ष रूप में कमी आती है; तथा इससे गरीब जनता को उपयुक्त, वहनीय वित्तीय सेवाएं प्राप्त होती हैं। धारणीय आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए किए जानेवाले प्रयासों में यह जरूरी है कि वित्त तक अंतिम पहुंच का विस्तार किया जाए। इस प्रकार, वित्तीय समावेशन अब नीतिगत चुनाव का मुद्दा नहीं रहा है अपितु यह नीतिगत बाध्यता है। एक बैंक-आधारित मॉडल में, ग्राहकों का बैंक अथवा उसी तरह विवेकपूर्ण तरीके से विनियमित एवं पर्यवेक्षित वित्तीय संस्था के साथ प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध होता है - एक मूल बैंक खाता, एक बचत खाता, एक बचत-सह-ओवरड्राफ्ट खाता, एक लेनदेन खाता, एक ऋण अथवा कुछ का समन्वयन - भले ही ग्राहक अनन्य रूप से बैंक की ओर से लेनदेन करने के लिए भाड़े पर लगाए गए एक अथवा एकाधिक खुदरा एजेंटों के स्टाफ के साथ लेनदेन करे। गैर बैंक-आधारित मॉडल में, संविदात्मक संबंध बैंकेतर सेवा-प्रदाता यथा मोबाइल नेटवर्क परिचालक या भंडारित-मूल्य वाली भुगतान लिखतों के जारीकर्ता के साथ होता है। ग्राहक मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के लिए बदले में एक खुदरा एजेंट से नकदी का आदान-प्रदान करते हैं। यह आभासी खाता सेवा-प्रदाता के सर्वर में रहता है। तथापि, हालांकि एक बैंक और ग्राहक के बीच प्रत्यक्ष रूप से कोई संविदात्मक संबंध नहीं होता, तथापि बैंक, उदाहरणार्थ, 'फ्लोट' रखने के लिए बैंकेतर सेवा-प्रदाता हेतु एक संभाव्य सुरक्षित और चल स्थल के रूप में हमेशा शामिल रहता है। अब तक भारत में हमारा मॉडल एक बैंक-आधारित मॉडल है तथा इस प्रकार हम ग्राहक संरक्षण संबंधी मुद्दों का समाधान करने में समर्थ हैं जो ग्राहकवर्ग के असुरक्षित स्वरूप को देखते हुए महत्वपूर्ण है। यहां वित्तीय साक्षरता और शिक्षा के माध्यम से वित्तीय क्षमता निर्माण का भी काफी महत्व है। हमने वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र गठित करने का अधिदेश दिया है जिससे ग्राहकों की स्थिति सुधारने में काफी मदद मिलने की आशा है, हालांकि इस बात को समझना चाहिए कि पहले हमें वित्तीय पहुंच प्रदान करना होगा।

16. अंततः, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि वर्तमान में हम बैंक-आधारित मॉडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन के प्रतिमान का विपणन कर रहे हैं। अतःबैंकों को चाहिए कि वे चुनौती का सामना करने के लिए सामने आएं और इसे पूरी तरह से पूर्ण करें। वर्जित जनता की वित्त तक पहुंच न होने से हमारा अभिप्राय यह है कि उनकी औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच नहीं है; अतः बैंकों के लिए एक जरूरी चेतावनी यह है कि वित्तीय समावेशन का प्रतिमान बैंकिंग क्षेत्र के लिए अंततः सतत सुसंगत प्रतिमान है तथा अन्य संस्थाएं इस ओर अपना पैर जमाने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रही हैं।

17. भारत के पास सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अच्छी प्रतिभा तथा साथ ही वित्तीय क्षेत्र संबंधी प्रतिभा मौजूद है, अतः आइसीटी-आधारित वित्तीय समावेशन लाने का यह प्रयोग न सिर्फ भारत के लिए अपितु पूरी दुनिया के लिए भी सुसंगत है क्योंकि इस प्रयोग की सफलता की नकल अन्यत्र की जा सकती है। पूरी दुनिया काफी उत्सुकता से इन गतिविधियों की ओर देख रही है। हमें इन प्रत्याशाओं को पूरा करना होगा।

18. हमारे पास गरीबी निवारण में मदद करने के लिए वित्तीय समावेशन के प्रति व्यापक आधारवाली सरकार-केंद्रीय बैंक की वचनबद्धता उपलब्ध है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम नवोन्मेषी वित्तीय समावेशन के लिए एक समर्थक नीतिगत एवं विनियामक माहौल बनाने में मदद करें। वर्तमान समर्थक माहौल से महत्वपूर्ण रूप में इस बात का निश्चय होगा कि किस गति से वित्तीय सेवा तक पहुंच संबंधी अंतराल वर्तमान में वर्जित जनता के लिए पाटा जाएगा।

19. धन्यवाद। 23वें स्कॉच शिखर सम्मेलन के लिए मेरी शुभकामनाएं तथा मुझे आशा है कि यहां किए जानेवाले विचार-विमर्श से वित्तीय गहराई के विभिन्न पहलुओं पर नई रोशनी डाली जाएगी।